

राजकीय महाविद्यालय, हिन्दुमलकोट, जिला श्रीगंगानगर
Email- gehindumalkot@gmail.com, Phone 0154-2440056

क्रमांक जीसीजी/2022/2316

दिनांक 22.08.2022

विज्ञप्ति

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ10विद्या सम्बल/आकाशि/ग.फै. /दिशा निर्देश/21/81 दिनांक 14.07.2022एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021 की अनुपालना में महाविद्यालयों में अध्ययन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा "विद्या संबल योजना" के अन्तर्गत निम्न विषयों में पात्र व्यक्तियों से गेस्ट फेकल्टी के रूप में परिपत्र के विन्दु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से विन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन आवेदन दिनांक 03.09.2022 सायकाल 03:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन मय संलग्नक व्यक्तिशः या डाक द्वारा प्रेपित कर सकते हैं। ई-मेल से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं होंगे इस हेतु महाविद्यालय शिक्षा रोड नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी निजी अभ्यर्थी ही आवेदन करें। निजी अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी। गेस्ट फेकल्टी में आमंत्रित शिक्षकों से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जावेगा। गेस्ट फेकल्टी से निर्धारित शपथ पत्र भरवाकर लिया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप, न्यूनतम योग्यता, शर्तें, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर आदि द्वारा आदेश/माननीय न्यायालय के फैसलों के अनुरूप होगी। आवेदन का प्रारूप व अन्य जानकारी महाविद्यालय की वेबसाईट— <https://hte.rajasthan.gov.in/college/gehindumalkot> पर उपलब्ध है।

क्र. सं.	विषय का नाम	रिप्रितर्यों की संख्या
1	हिन्दी साहित्य	01
2	राजनीतिक विज्ञान	01
3	इतिहास	01
4	भूगोल	01

(वलवंत सिंह रत्न)

नोडल प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय, हिन्दुमलकोट

दिनांक 22.08.2022

क्रमांक जीसीजी/2022/2316

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान् आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. नोटिस बोर्ड जिला कलक्टर कार्यालय, नगर परिषद्, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर, बस स्टेड, रेलवे स्टेशन, पंचायत समिति हिन्दुमलकोट, एवं नोटिस बोर्ड गहाविद्यालय।
3. संयोजक विद्या संबल योजना समिति महाविद्यालय।
4. रक्षित पत्रावली।

(वलवंत सिंह रत्न)

नोडल प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय, हिन्दुमलकोट

कार्यालय:- नोडल प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, हिन्दुमलकोट श्रीगंगनगर
Email- gehindumalkot@gmail.com, Phone 0154-2440056

विद्या संबल योजना (सत्र 2021-22)
गेस्ट फैकल्टी के लिए पंजीकरण हेतु प्रारूप

आवेदित विषय -.....

1.	नाम	:
2.	पिता का नाम	:
3.	जन्म दिनांक	:
4.	श्रेणी	:
	(SC/ST/OBC/GEN/EWS)	:
5.	मोबाइल नम्बर	:
6.	रस्थायी पता	:
7.	मेल आईडी	:
8.	शैक्षणिक योग्यता	:	(अंकतालिका प्रति संलग्न करें)

क्र. सं.	उपाधि	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय	पूर्णकि	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	10वीं					
2	12वीं					
3	स्नातक					
4	स्नातकोत्तर					
5	एम.फिल.					
6	पीएच.डी.					
7	जे.आर.एफ. सहित नेट					
8	नेट					
9	स्लेट / सेट					

9. शोध प्रकाशन (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध अथवा सहकर्मी द्वारा समीक्षित जर्नल) प्रति संलग्न करें।

क्र. सं.	शोध पत्र शीर्षक	शोध पत्रिका का नाम	वर्ष	(ISBN/ISSN No.)
1				
2				
3				

10. शिक्षण अधवा अन्य अनुभव (राक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

11. पुरस्कार (राक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
 अन्तर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय रत्न/ राज्य स्तरीय(अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों/भारत सरकार/भारत सरकार द्वारा
 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय रत्न के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार)

क्र. सं.	पुरस्कार	वर्ष	संस्था का नाम
1			
2			
3			

दिनांक :

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

घोषणा पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
 शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा
 कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि इन सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो मैं स्वयं
 इसके लिए उत्तरदायी हूँ। विज्ञप्ति में वर्णित परिपत्र की समस्त शर्तों का मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया
 है एवं मैं उक्त सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता/देती हूँ।
 संलग्न दस्तावेजों की सूचि (स्वयं प्रमाणित)

1. आधार कार्ड
2.
3.
4.
5.
6.
7.

हस्ताक्षर

(शपथ ग्रहीता)

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान :- कार्यालय प्राचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय,
 श्रीगंगानगर

१४८

ବିଜ୍ଞାନ-ବିଜ୍ଞାନ

आयुकरात्म्य, कौड़ीज शिला, राजस्थान, जयपुर

महाराष्ट्र, कालीन विधि, संघसभा, जयपुर

100

14/7/22

2019 RELEASE UNDER E.O. 14176

Digitized by srujanika@gmail.com

लिखा - दिनांक साल २०२१ में अन्तर्गत अधिकार के द्वारा दिनांक १५ जून २०२१ को अप्रिल २०२१ को दिनांक १५ जून २०२१ के परिवर्त क्रमांक ४६(२) दिनांक १५ जून २०२१ को दिनांक ३० जून २०२१ के रूप में लिखा गया है।

四二八

दिन विद्यालय के सदर्भैत परिषद के कम में लेख है कि विद्या संबल योजना शीघ्रताके समर्पण का अध्याय वाले इस विद्यालय के अनुसारी विधायिका से स्वीकृत पढ़ा वे विद्या पढ़ा पर अवश्यकतावाले गति की बातों के क्षेत्र में उपलब्ध करना चाही (Enabling Scheme) योजना है। इस योजनावाली के प्रतिक्रिया शीघ्रता वाले अवश्यक छात्रों की सीमा वे अन्तर्गत विद्या पढ़ा वीका तक तक विद्यालय के enrolment की सख्त्या का घटन में रखते हुए आवश्यकता अनुसार अपने कम से कम दो वर्ष स्वीकृत पढ़ा वीका सीमा तक अवश्यकता अनुसार विद्या संबल योजना वीका गति विद्या का विद्यालय का वार्ष 2019-2020-2021-2022 वार्ष 2022 में वर्षीय रुपित हुए हैं एवं महाविद्यालय विद्यालय के स्वीकृत पढ़ा में से 100 प्रतिशत एवं विद्या है में वर्ष विद्यालय का वार्ष करवाने के सम्बल न विद्या निर्देश नियमानुसार होगा—

५. अध्ययन विभाग द्वारा लगातार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आगे विद्या सदृश विषयों के अन्तर्गत विषय परिवर्तन तथा अनुमोदी विधियों को मस्त प्रकल्पी अवधियों पर अध्ययन चलने हेतु वित्त विभाग के पारिषद बमार २०२१ वित्त/संचयन/२०२१ विनाश ३०-०३-२०२१ में १०८ रुपये दिल्ली विदेशी के द्वारा अध्ययन विषयों वित्त विभाग द्वारा जारी उपलब्ध विधित परिवर्तन के द्वारा अध्ययन विषयों वित्त विभाग द्वारा विनाश द्वारा अध्ययन विषयों की उपलब्धता की तात्कालीन विधियों की जा सकेगी।

3 ये 2019-2020, 2021-2022 में नामांकित संस्कृतान्वयन के लिए दी जा सकती है।

५ अंग्रेज में प्रमाणी महाविद्यालय शिक्षा नियम 1996 में राहायक आवार्य के पद सेवा अपेक्षित शोषणित विषयालय द्वारा चयन करते हुए उन्हीं जो आवेदन करते समय 20 वर्षों की अवधि द्वारा करते हैं तो वे

५ सम्बन्धियों/सदीय नियुक्ति द्वारा लिखत पत्र के भरे जाने पर दस्त फ़क़लती की उद्देश्य स्थान अवश्य समझी जाएगी तथा किसी दिव्य में एक से अधिक शिक्षक के ताम पर आमंत्रित लिखाया का अनुकूल रूप दर्शाया गया। करीबता सूची में सबसे ऊपर स्थान लाले शिक्षक को रावसे पहल मुक्त लिखा होगा।

६. विद्या प्रशिक्षणी में वित्ती नियाविधानलय का विषय विद्या में अध्यापन व्यवस्था एवं विद्या संबंधी व्यवस्था में गर्ट फकल्ली की आवश्यकता होने पर अध्यकाशलय से गर्ट फकल्ली की अनुमति देव गाय

का न हो सकती, महाराष्ट्रालय द्वारा यह प्राप्त होने पर सभी यार से निर्णय लेकर यह अधिकारी

प्रदान करने की चाही है। इसके बाद उन्होंने यह अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी के अन्तर्गत आवश्यक तथा नहीं रखी जाना है।

11. दिनांक 10 अक्टूबर 2022-23 द्वारा होनी है।

12. यह दिनांक सरकार योजना के अन्तर्गत अध्यापन अवसरे यारी एवं ग्रन्ति के मालिक द्वारा दिया जाना है।

13. यह यह दिनांक सरकार योजना के अन्तर्गत अध्यापन अवसरे यारी एवं ग्रन्ति के मालिक द्वारा दिया जाना है।

"In the meanwhile respondents shall not engage any one else in place of the petitioners in 'Vidhya Sambal Yojna'", मानवीय साक्षात्कार के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत सरकार योजना के अन्तर्गत अध्यापक आवश्यक योजना की पालना सुनिश्चित ही जानी है।

14. यह सरकार योजना के अन्तर्गत पैनल तैयार करने हेतु वीएसडी उपायिकारकों के सर्वानं निम्न प्रदान हो अनुमति दी जानी है।

उपरान्त 11.07.2009 से पूर्व एम्फिल/ वीएचडी द्वारा प्रदान करने के लिए प्रारंभिक अध्यार्थीका योग्यता ने जाने यारी दियी अन्वेषित सरकारी के तत्वालीन अध्यापक/ ग्रन्तीयों/ विधिकारी के द्वारा अन्वेषित होती और वीएचडी उपायिकारक अध्यार्थीको निम्नान्त यारी का प्राप्त करने के अध्यापक अध्यापक आवश्यक एवं भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें गट/ रूलर/ राइफलम विभाग या उन्हें अनिवार्यता से छुट पास होती है।

(a) अध्यार्थी जो केवल नियमित पद्धति से वीएचडी प्रदान की गई हो।

(b) कम से कम दो वाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रब्लम का मूल्यांकन किया गया है।

(c) अध्यार्थीका मुक्त गोदायिक वीरका अध्यार्थित की गई है।

(d) अध्यार्थी न अपने वीएचडी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये हुे जिनमें से एक एवं अन्य अन्य उन्हें प्रकाशित हुये हो।

(e) अध्यार्थी न अपने वीएचडी शोध कार्य में से दो पैपर सांगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रत्युत्तम किये हो।

उपरान्त (a) से लेकर (c) तक कुलपति/ संकाय अध्यक्ष (ईकायिक कार्य/ सकाय अध्यक्ष (ईकायिक शिक्षण)) द्वारा प्रमाणित किया गया है।

11. विद्या संकलन योजना हेतु पैनल द्वारा के लिये म्यानीय रहर पर संभिष्ठ पिङ्गलि प्रस नाट एवं रावीजनिक स्थानों पर सूचना द्वारा करती है, तथा महाराष्ट्रालय के नाइस यारी एवं ऐरसाइट पर संभिष्ठ प्रदान करती है। यदि पैनल द्वारा हेतु प्राप्त आवश्यक यारी नहीं प्रियुत्तम दिया निर्देश देयर अवश्यक आवश्यक यारी है। यदि पैनल द्वारा हेतु प्राप्त आवश्यक यारी नहीं है तो पुनः विद्यासंकलन द्वारा एवं घोड़ल/ जिला स्तरीय महारियालयम या यारी आवश्यक गणवाचर विद्या संकलन का पैनल तैयार किया जाना है।

12. ग्रन्ति कंपलटी का पैनल तैयार करने हेतु दिनांक मिर्देश -

- (A) विल लिभर्स के परिषद ने दिनु संख्या 4 (४) से वर्तित राजनीति प्राचार महाविद्यालय के बिलों की पारे पर अधिकार पर अधिकारकों का आकलन करते हुए इकाईक सभा के अधिकार एवं उपायकारी कार्यकारी अधिकारों के विवादों के बिषय में विवादों का विवाद किया जायगा।

(B) आदर्श एवं तीव्र राजनीतिकार्यकारी द्वारा एकात्म समाजिकप्रभाव एवं उपर्युक्त अधिकारों के द्वारा प्राप्त के लिये लिखित एवं अनुचित विद्या विभाग अधिकारकों द्वारा आदर्श एवं पार अधिकारी की विवाद सुनी के अधार पर विवाद विधार किया जायगा।

(C) अलीक राजनीति द्वारा प्राप्त अधिकारी का विवाद एवं उपर्युक्त विवाद एवं उपर्युक्त विवाद विधारक अधिकारी का विवाद विधार किया जायगा।

(D) एक विवाद पूर्ण रूप से अधिकारी तथा एक रोमांटिक से एक रस या लिये है तथा नविय में इस विवाद के अधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दाय नहीं किया जा सकता।

(E) इस योजना के तहत मेर्स फैकल्टी पर रुख जाने वाले अधिकारी से विधारित शास्त्र पढ़ (परिषद में सभ्य सत्रम् शास्त्र पढ़) भरवाकर लिया जायगा।

(F) मेर्स फैकल्टी के कार्य का संतोषजनक कार्य राज्याभ्यन के अधार पर ही विभाग मुकाबली आदेशों की जायगा।

(G) इसी नहाविद्यालय में किसी पिछले दिनांक हेतु घटि कोई भी धारा अन्यायी लाभवाल नहीं हो सकती DRAC अधिकार जिल के नहाविद्यालयों के तंत्रार प्रेसल में से शेष रह अधिकारी में से विशेषज्ञता के से महाविद्यालय में आधारित व्यवस्था हेतु कालाश अधारित मेर्स फैकल्टी का आधारन उपर्यन सर के लिया जाए र इसकी सूचना आयुक्तालय द्वारा दी जायगा।

13. पैनल एवं अनुगोदन पूर्व की भाँति संयुक्त निदेशक एवं आर डी. की ई-मेल से ही किया जायगा।

14. विभाग द्वारा विद्या सबल हेतु गत दर्शक प्रदान हेतु निर्देश पद्धति लेंगे।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

三

1. वित्त विभाग का परियोजना क्रमांक ५.६(२) वित्त/सार्विलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021
 2. ग्रेट फ़्लॉटी में लिया जाने वाला शब्द पत्र।
 3. फ़ाइल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड।
 4. नहायिदालय शिक्षा नियम 1986 के सम्बंधित शियमा की प्रति।
 5. प्रभारी अधिकारी आईटी सेल कम्पनी अपनाह करे।

 १५.७.२०२२
संयुक्त निपेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान लघाव

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

१५४

क्रमांक : प.6(2)वित्त / साप्रिलेनि / 2021

जग्गुर, दिनांक ३०-०३-२०२१

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों-शिक्षालयों, महाविद्यालयों, आवासीय शिक्षालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैरस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये 'विद्या संबल योजना' के संबंध में दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया।

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवहार उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के ऐक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए "विद्या संबल योजना" लागू की जा रही है, जिसके क्रम में नियमित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं—

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष ऐक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का अंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अन्यर्थना तैयार कर भत्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में वित्त विभाग को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अरमाई आदार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैरस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य नियम निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैरस्ट फैकल्टी केवल रवीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैरस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का अंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।
3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अध्यार्थियों को गैरस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
4. गैरस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

- (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अध्यार्थियों का परिपत्र गे वर्धित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैरस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

(v) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

- I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसकी अध्यक्ष 'जिला कल्कटर अध्ययन' उनको द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य संबंधित समिति का जिला स्तरीय अधिकारी अध्ययन विभागीय नोडल अधिकारी होगा।
- II. शैक्षिक सच के आरम्भ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अध्यर्थियों से ब्लॉकवार-संरक्षावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्ताकारों के आधार पर दरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैर स्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।
- III. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अध्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिप्रिट के दिलहू गथासंभव 3 अध्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैर स्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड-III	1 से 8	300/-	21000/-
ग्रेड-II	9 से 10	350/-	25000/-
ग्रेड-I	11 से 12	400/-	30000/-
अनुदेशक	-	300/-	21000/-
प्रयोगशाला सहायक	-	300/-	21000/-

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/-	45000/-
सह आचार्य	1000/-	52000/-
आचार्य	1200/-	60000/-

6. गैर स्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ-पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

७. फैस्ट फैक्टरी के कार्य की समुचित मौनिटरिंग की आवश्यकता कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
८. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त आवश्यकता रहते रागत्र समझी जावेगी।
९. कूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद रुक्षित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विधयों की कोर्सिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोर्सिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने रत्नर से अध्यात्म उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बलट प्राक्त्यान सीमा तक तथा बिंदु राख्या ५ में वर्णित दर्तों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पूछी)

शासन सचिव, वित्त (वर्जट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निर्माकित को शूद्रवर्ग एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रोत्तिष्ठा-

१. सचिव, राजस्वाल/प्रभुव अधिक, मुख्यमंत्री/वित्तमंत्री, सहायक रामत्र भवेश्वर/राज्य सचिव।
२. एप सचिव, मुख्य सचिव/वित्ती सचिव, समस्त अधि. मुख्य सचिव/प्रभुव शासन सचिव/ राज्य सचिव/वित्तमंत्री शासन सचिव।
३. सचिव, राजस्वाल विभागराज, राजस्वाल, जयपुर।
४. सचिव, लोकानुकूल सचिवालय, राजस्वाल, जयपुर।
५. सचिव, राजस्वाल सोल रोड आदेश, अजमैर।
६. रजिस्ट्रार, राजस्वाल उच्च न्यायालय जयपुर/जयपुर।
७. ग्राम सहायताकार ए एण्ड ई राजस्वाल जयपुर।
८. प्रधान भाग्यखालार औदिट राजस्वाल जयपुर।
९. समस्त समुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुशास/विभाग।
१०. समस्त विभागस्वामी/विभाग कलेक्टर/राज्याधीय अमुकत।
११. रजिस्ट्रार, राजस्वाल सिविल कला अपार्टमेंट, जयपुर।
१२. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
१३. रामत्र कोषाधिकारी।
१४. रामत्र रायगढ़ सम्मान।
१५. तकनीकी नियंत्रक वित्त विभाग को बेज़कर लेत्व है परिषद को वित्त विभाग की बैंकसाईट पर प्रवाशित करने की आवश्यकता करते हैं।
१६. रक्ति पत्राधिकारी।

(विनाय कुमार गुप्त)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - ०४ /2021)

प्रारूप

शपथ-पथ

मैं श्री/ श्रीमती/ कुमारी..... पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री.....
विभाग..... (संरथान का नाम) में दिनांक..... को
गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/ दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने.....विभाग/ संरथान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु व्यवनवद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजरथान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र ग्रन्थाक प.6 (2)वित्त/ साविलेनि/ 2021 दिनांक..... को अच्छे से पढ़/ समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समरत सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जना किये गये समरत शैक्षिक/ प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अकिल हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू-पूर्सी स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समरत मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/ फर्जी अथवा गलत पायी जाती हैं तो मुझे गेस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में याद दायर नहीं करूंगा/ करसंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/ करसंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/ करती हूं तो संरथा एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिता आवेदित होने के उपरान्त रखाने परिवर्तन की मांग नहीं करूँगा/करूँगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिगाति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विलम्ब शपथग्रहिता को गैरट फैकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था रखतः समाप्त हो जायेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैरट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे हारा न्यायिक या प्रशासनिक रूप पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा रामय-रामय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूँगा/करूँगी।
12. यह कि मुझे केवल सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी रक्तानीय प्राधिकारी अथवा समुदित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नीतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अभियमिताता तथा कार्य से अनुपरिवर्ति की दशा में संस्थान या संस्क्रम अधिकारी को यिन कारण बताये मुझे गैरट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अग्निलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूँगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊँगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक दयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त घण्टित गिन्दु संख्या 1 से 14 में दर्जित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिगाति पद तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई राजनीता/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूँगा।

शपथग्रहिता

प्रारूप
संपर्क पत्र

मेरी श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____ (अपने नाम का नाम) में दिग्भाग _____ पुरुष/पुरी/पत्नी को _____ का देस्त किया जाएगा। अपनी उपर्युक्त वार्ता है। देखती है।

1. यह है कि मेरे द्वारा _____ द्वारा जारी दिग्भाग दिनांक _____ के बाहर आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने दिग्भाग में वर्णित वार्ता का पढ़ या समझा है कि वह वार्ता की वारदात होना चाहिए है।
2. यह है कि मेरे द्वारा आवेदन पढ़ में भरी तस्वीर सूचनाएँ पूरीतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य दिखाना नहीं चाहिए।
3. यह है कि मेरे द्वारा आवेदन पढ़ में भरी तस्वीर सूचनाएँ पूरीतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य दिखाना नहीं चाहिए।
4. यह है कि मेरे द्वारा आवेदन पढ़ में लापत्ति दर्शाने के लिए (साधारण वित्तीय एवं सेवा विषय) विवाद के लिए विवाद ५६(१) विवाद विवरण २०२१ दिनांक _____ को अधृत से पढ़/समझ किया है।
5. यह है कि मेरे द्वारा आवेदन पढ़ में भरी तस्वीर सूचनाएँ पूरीतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य दिखाना नहीं चाहिए।
6. यह है कि मेरे द्वारा आवेदन पढ़ में लापत्ति दर्शाने के लिए (साधारण वित्तीय एवं सेवा विषय) विवाद ५६(१) विवाद विवरण २०२१ दिनांक _____ को अधृत से पढ़/समझ किया है।
7. यह है कि मेरे द्वारा आवेदन पढ़ में भरी तस्वीर सूचनाएँ पूरीतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य दिखाना नहीं चाहिए।
8. यह है कि मेरे द्वारा आवेदन पढ़ में भरी तस्वीर सूचनाएँ पूरीतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य दिखाना नहीं चाहिए।
9. यह है कि मेरे द्वारा आवेदन पढ़ में भरी तस्वीर सूचनाएँ पूरीतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य दिखाना नहीं चाहिए।
10. यह है कि मेरे द्वारा आवेदन पढ़ में भरी तस्वीर सूचनाएँ पूरीतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य दिखाना नहीं चाहिए।

11. मैं दावा करकर लिखता/संख्यात हुआ समय अपने पर जीवि निर्माण, भवित्वों की पूर्ण प्रत्यक्षा करता हूँ।
12. यह कि ऐसे फैल गरेकार या किसी अन्य जल्दी गरेकार या किसी व्यासीय गणिकारी अथवा समुचित गणितारी या सामिनाशीय या नियन्त्रणारीन किसी निर्माण या निकाय अथवा लिखता हुआ प्रदर्शित नहीं किया गया है तथा नीतिक अद्यता अध्यात्मा किसी अन्य आपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और उनीं काहे आपराधिक प्रकरण व्यापारमय में लिपित हैं।
13. यह यह अमरा लिखा है कि निर्माण कार्य कुशलता दुराचारण विनायिता तथा काय में अनुबन्धिति की दशा में संख्यात या संक्षम अधिकारी को पिना कारण बलाये मुझे गेस्ट ऑफली के रूप में निर्मृत्यु उत्तरने या अधिकार होगा।
14. मैं राजसीध अभिनेत्र तथा सूचनाओं की गापनीयता बनाये रखूँगा/रखूँगी तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दर्शीय जाहिराती का उत्तरदाती होउगा/होउगी।
15. यह कि मुझे दुष्ट है/मैं तुक्की यह व्यवस्था परि कालारा नानदय भुगतान पर उपरित है अतः आपदाहिता वा किसी प्रकार या अवकाश देय नहीं होगा।

शपथाद्विता

सत्यापन

मैं शास्त्रपूर्वक घटान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त विविध विदु संख्या 01 से 15 में वर्णित व्यवस्था नहीं जानकारी में सही तथा सत्य है मैंने इनको भलिभाति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असली व्यक्ति नहीं विद्या है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य अवात्य या अनुर्भवित होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदाती रहूँगा/रहूँगी।

शपथाद्विता

राजस्थान सरकार
कार्यिक (क-पुण-2) विभाग

क्रमांक.एफ. १(2) वीलोपी/ए-II/84

जाम्बुर, दिनांक : ३१-१-२०१८

अग्रिमसूचना

ग्राम के गविधान के अनुच्छेद 309 के परम्परागत द्वारा प्रदत्त अग्रिमसूचना का प्रयोग करते हुए राजस्थान की राजविद्यालय, राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शास्त्र) नियम, 1986 की और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात् :-

१. राजिष्ठ नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शास्त्र) (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रदृढ़ होंगे।

२. नियम २ का संशोधन- राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शास्त्र) नियम, 1986, जिन्हें इसके पश्चात् उत्तर नियमों के स्वरूप में निर्दिष्ट किया गया है, ये नियम २ में-

(i) विद्यमान खण्ड (उ) से स्थगन पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(उ) 'आयुक्त/निदेशक' से आयुक्त/निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है;"

(ii) विद्यमान खण्ड (झ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (झ) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (झझ) अंतर्भूत्यापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(झझ) 'यिनियम' से समय-समय पर यथासंशोधित और राज्य सरकार द्वारा दथा अंगीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षाकों एवं अन्य अकादमिक टटाफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अंदाज पर एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपाय) यिनियम, 2010 अभिप्रेत है।

(iii) खण्ड (झ) में, अंत में अभिव्यक्ति "और" जोड़ी जायेगी; और

८१. १२/२०१८

"३८. रिक्त पद पर भर्ती के लिए नियोग उपलब्ध और कार्य-भार— (१) अधिकारीकी, मृत्यु नये महाविद्यालयी में पढ़ी गई शृंखला या विद्यार्थी अन्य कारण से संवर्ग में किसी रिक्ति को ऐसे सहायक आधारी को पन पर रोटी भर्ती द्वारा भरा जायेगा और उस पद को, जो कैरियर उन्नति स्ट्रीम (ए.ए.र्सी.) से अधीन सहायक आधारी से सह-आधारी और सह-आधारी से आधारी पर पदोन्नति के पश्चात् रिक्त हो, रोटी भर्ती द्वारा नहीं भरा जायेगा।

(२) प्राधारी, आधारी, सह-आधारी और सहायक आधारी का कार्य-भार सरकार द्वारा समय-समय पर यशामिहित मानकों के अनुसार होगा।

11. अनुसूची-I का प्रतिस्पष्टापन— चाला निवार्द्ध से सालग विद्यमान अनुसूची-I का स्थान पर नियन्त्रित प्रतिस्पष्टापन किया जायेगा, अवृत्त—

"जनसूची-I"

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की सीधी गती के लिए चयनहम अर्हता और अनुग्रह चाहिए	पद जिससे पदोन्नति/ध्ययन के लिए चयनहम अर्हता		जनसूचिकरण
			पदोन्नति/ध्ययन	और अनुग्रह	
1	2	3	4	5	6
प्रशारानिक पद					
1	आयुरेत / निदेशक	100% ध्ययन द्वारा	— निदेशक	प्रापार्थी / संयुक्त का अनुग्रह।	स्तर सं. 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष तकात किसी भी जनसूचिते की ऐसी सांग हो, आयुरा/निदेशक के पद किसी भाग्य के निकालों के नियमसंकार चालेंगी।
2	महानियालय का प्राचार्य / संयुक्त निदेशक (दोषिक)	100% ध्ययन द्वारा	— आगामी / सह- आधार्य / उप आगामी	(i) आगामी लो सुखमा राखा है। पीएचडी लिए रखा है। प्रापार्थी के सब में पदोन्नति का यात्र होगा।	(i) 75% पद सह-आचार्य।/उप आगामी के पद से भर जानेवाले लोग 25% पद उपतत्त्व आगामी के 75% छोटे जानेवाले।

भारी हावा	अनियंत्रित राष्ट्र में
किसी भारी विद्युतिकालय से साथकोलर डिप्पी	
स्तर पर कम से कम 55% अंक (या अकेगान) पर समतुल्य चेड रहा कही भी प्रेडिंग	
प्रणाली उपनाली जाती है), या किसी प्रत्यानित निवेदी विद्युतिकालय से कोई समूल डिप्पी।	
(ii) उपरोक्त अंदराजों को पूर्ण	

कहरे के अंतिरिक्षा	अमर्यादि	ने
विश्वविद्यालय		
अनुदान	आयोग	
विज्ञान	और	
इंटोलोगिक		
अनुसंधान	चरिष्ट	
छात्र	संचालित	
वादीय	पात्रता	
परिष्का (नेट)	या	
विश्वविद्यालय		
अनुदान	आयोग	
छात्र	प्रत्याधित	
तमान	परीक्षा जैसे	
सेलेक्ट/सेट	उल्लिख्न	
		हो।

(iii) ऐसे अमर्यादि

को जो ना जिन्हें

पिरविद्यालय

अनुदान आगो
शिवाजी, उपचे
प्रदान करने ऐसु
त्यूलम घासदड
और गडिया)

विशिष्यम् 2009 के
बन्दुकर बोर्डी,
दिल्ली प्रदान की
गयी है। सहायक
आचार्य को मर्त्ती
द्वारा नियुक्त के
लिए

नेट / सेंटर/
की चूनरक्त पात्रम्
गर्व की अंदा ऐ
छुट दी जारी।

(iv) यात्राओं के ऐसे सामग्रीकोत्तर सौधानों के भी बोट/स्लोट/सेट की जड़ें नहीं की जाएंगी जिनके लिए बोट/स्लोट/सेट संचालित नहीं की जाती है।